न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 102 / 2022

1. कुशलसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. गिरधारीसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. उच्छव कंवर धर्मपत्नी स्व. जस्सुसिंह उम्र 38 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
4. भंवरसिंह पुत्र स्व. जस्सुसिंह उम्र 27 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
5. गजेन्द्रसिंह नाबालिग उम्र 17 वर्ष पुत्र स्व. जस्सुसिंह
6. कु.पूजा कंवर नाबालिग उम्र 15 वर्ष पुत्री स्व. जस्सुसिंह

} जरिये अपनी माता प्राकृतिक संरक्षिका उच्छवकंवर पत्नी स्व. जस्सुसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम घंटियाल बड़ी तह. बीदासर जिला–चूरू (राज.)

.....वादीगण.....

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. श्रीमती ज्ञान कंवर धर्मपत्नी स्व. पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
3. महावीरसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह
4. केशरसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह
5. तिलोकसिंह पुत्र स्व. पृथ्वीसिंह
6. भंवरीकंवर पुत्री स्व. पृथ्वीसिंह
7. रूखमा कंवर पुत्री स्व. पृथ्वीसिंह

} जाति राजपूत निवासीगण ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

8. किशनसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी डूंगरगढ़ चौराहा के पास, नोखा रोड़, बीदासर तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान
9. मनोज कुमार पुत्र भागीरथ प्रसाद जाति सेवग निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, वार्ड नंबर 10, कस्बा बीदासर जिला–चूरू राजस्थान

लगातार .....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

10. श्रीमान् मैनेजर साहब एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक लिमिटेड शाखा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू राजस्थान
11. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, बीदासर तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू राजस्थान

.....प्रतिवादीगण.....

13. श्रीमती भगीकंवर उर्फ मांगी कंवर पुत्री स्व॰ गणपतसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
14. श्रीमती समदर कंवर पुत्री स्व॰ गणपतसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
15. उदयसिंह पुत्र स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह
16. जगमालसिंह पुत्र स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह
17. सोहनसिंह पुत्र स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह
18. छगन कंवर पुत्री स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह
19. मनोहरी कंवर पुत्री स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह
20. रूकमा कंवर पुत्री स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह
21. मदन कंवर पुत्री स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह
22. किरण कंवर पुत्री स्व॰ गुलाब कंवर एवं भींवसिंह

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

23. इन्द्रसिंह पुत्र स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
24. देवीसिंह पुत्र स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
25. धन्नेसिंह पुत्र स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
26. पुनमसिंह पुत्र स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
27. रणजीतसिंह पुत्र स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
28. जीवणसिंह पुत्र स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
29. रूकमा कंवर पुत्री स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
30. राधा कंवर पुत्री स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह
31. कविता कंवर पुत्री स्व॰ संतुकंवर एवं भंवरसिंह

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर (राजस्थान)

32. मांगूसिंह पुत्र स्व॰ कानीकंवर एवं लखूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला–बीकानेर (राजस्थान)

लगातार .....3 पर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

33. संजू कंवर पुत्री स्व॰ कानीकंवर एवं लखूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला–बीकानेर (राजस्थान)

34. पृथ्वीसिंह पुत्र स्व॰ शान्ति कंवर एवं करणीसिंह
35. जगदीशसिंह पुत्र स्व॰ शान्ति कंवर एवं करणीसिंह
36. नेनी कंवर पुत्री स्व॰ शान्ति कंवर एवं करणीसिंह

} जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नाथूसर तहसील नोखा जिला–बीकानेर (राज॰)

37. श्रीमती इमरती कंवर धर्मपत्नी स्व॰ लादूसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान

38. अनोपकंवर
39. अच्छन कंवर
40. रतन कंवर
41. किरण कंवर

} पुत्रियां स्व॰ लादूसिंह जाति राजपूत निवासीनीगण ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान

42. बजरंगसिंह पुत्र जस्सुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान

.....गौणप्रतिवादीगण.....

दावा घोषणात्मक, रेकॉर्ड दुरूस्ति, चिर निषेधाज्ञा, विभाजन

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़, श्री अमरसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री रजत पाण्डे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से
(3) विद्वान अधिवक्ता श्री महावीरसिंह राठौड़ गौणप्रतिवादीगण संख्या 13 ता 42 की ओर से
(4) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 16-01-23

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं गौणप्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वजों के वक्त से साबिका खेत खसरा नंबर 25 वर्तमान खसरा नंबर 31 तादादी 39 बीघा 18 बिश्वा, साबिका खेत खसरा नंबर 140 वर्तमान खसरा नंबर 183 तादादी 47 बीघा 19 बिश्वा, साबिका खेत खसरा नंबर 148 वर्तमान खसरा नंबर 210 तादादी 11 बीघा 01 बिश्वा, साबिका खेत खसरा नंबर 211 वर्तमान खसरा नंबर 339 तादादी 10 बीघा 6 बिश्वा, साबिका खेत खसरा नंबर 285 वर्तमान खसरा नंबर 410 तादादी 21 बीघा 14 बिश्वा, साबिका खेत खसरा नंबर 212 वर्तमान खसरा नंबर 338 तादादी 14 बीघा 01

लगातार .....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

बिश्वा कुल किता 6 कुल तादादी 144 बीघा 19 बिश्वा भूमि वाके रोही घंटियाल बड़ी तत्कालिन तहसील सुजानगढ़ वर्तमान तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान में कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि थी। उक्त भूमि सम्वत् 2012 में वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के पूर्वज गणपतसिंह, लादूसिंह पिसरान सुरसिंह व रामसिंह पुत्र मेहताबसिंह की बहिस्सा बराबर कौम राजपूत तेजसिंहोत साकिन देह खातेदारी घंटियाल बड़ी की थी। जिस पर वादीगण पूर्वजों के वक्त से बदस्तुर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। साबिका खेत खसरा नंबर 25 तादादी 39 बीघा 18 बिश्वा में से 1/2 हिस्सा पांति की सम्पूर्ण भूमि लिछमणसिंह दत्तक पुत्र रामसिंह व जड़ाव कंवर पुत्री रामसिंह पत्नी भंवरसिंह ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 26.04.1971 को विजयसिंह पुत्र तिलोकचन्द ओसवाल निवासी बीदासर को विक्रय कर दी थी। उक्त विक्रय पत्र में उत्तर में बाकीमांदा गणपतसिंह हिस्सेदार की भूमि, दक्षिण में बीकानेर जयपुर सड़क, पूर्व में बाकीमांदा लादूसिंह हिस्सेदार की भूमि, पश्चिम में गोहा घंटियाल बड़ी आसापासा दर्शाया गया था। शेष भूमि स्व॰ गणपतसिंह व स्व॰ लादूसिंह की बहिस्सा बराबर रही थी। विजयसिंह पुत्र तिलोकचन्द को विक्रय करने के पश्चात् उक्त साबिका खेत खसरा नंबर 25 नया खसरा नंबर 31 के दो खसरे 527/31 व 526/31 बने। खसरा नंबर 527/31 की खातेदारी विजयसिंह के नाम दर्ज हुयी व खसरा नंबर 526/31 की खातेदारी वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से खेत खसरा नंबर 526/31 की भूमि में वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के साथ–साथ प्रतापसिंह, पृथ्वीसिंह पुत्रगण स्व॰ लिछमणसिंह के नाम खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी जो वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के अधिकारों के समक्ष शुन्य व निष्प्रभ है तथा गलत खातेदारी दर्ज कर दी गयी। खसरा नंबर 526/31 तादादी 4.7424 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादीगण व गौणप्रतिवादीगण संख्या 37 व 42 के नाम से कानूनन दर्ज होनी चाहिये थी तथा तत्कालिन हल्का पटवारी ने नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 05.09.1979 ई॰ के दिन दर्ज करते वक्त नामान्तरण में नक्शा गलत रूप से दर्शाया है जो अशुद्ध

लगातार .....5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

है। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 26.04.1971 में आसापासा सही दर्शाया गया है जो मौके के अनूसार है तथा नक्शा ट्रेस तैयार करते वक्त कब्जा काश्त व मौके की स्थिति से भिन्न नक्शा तैयार कर तरमीम किया गया जो गलत तरमीम किया गया है। नजरी नक्शा के अनुसार तैयार करना चाहिये था। नजरी नक्शा के मुताबिक तरमीम किया जाना आवश्यक है। साबिका खसरा नंबर 140 नया खसरा नंबर 183 तादादी 47 बीघा 19 बिश्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा पांति की सम्पूर्ण भूमि स्व. लिछमणसिंह आदि ने विक्रय कर दी है। खसरा नंबर 183 की शेष 1/2 हिस्सा की भूमि वादीगण व गौणप्रतिवादीगण की रही, जिसके वर्तमान खसरा नंबर 525/183 तादादी 6.0070 हैक्टेयर भूमि है। खसरा नंबर 525/183 की भूमि में वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से प्रतिवादी प्रतापसिंह व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पति व पिता पृथ्वीसिंह की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में गलत दर्ज चली आ रही है, जो वादीगण के कानूनी अधिकारों के समक्ष शुन्य व निष्प्रभ है तथा खसरा नंबर 525/183 की सम्पूर्ण खातेदारी वादीगण एवं गौणप्रतिवादीगण संख्या 37 व 42 अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। खसरा नंबर 527/31 की भूमि तत्कालिन खातेदार विजयसिंह पुत्र तिलोकचन्द ने प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 21.10.1989 को विक्रय की, उक्त विक्रय पत्र में उत्तर में मोहीनी बेवाह गणपतसिंह वगैरह, दक्षिण नोखा रोड़, पूर्व में खेत लादूसिंह व पश्चिम में गोहा दर्शाया है जो मौका की स्थिति के अनूसार है। परन्तु वर्तमान खेत खसरा नंबर 527/31 का वर्तमान नक्शा ट्रेस अशुद्ध है। खसरा नंबर 527/31 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह ने भूमि तादादी 0.2782 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 9 मनोज को विक्रय की उसके खसरा नंबर 781/527 है तथा प्रतिवादीसंख्या 8 किशनसिंह ने फिर प्रतिवादी संख्या 9 मनोज को भूमि तादादी 0.3156 हैक्टेयर विक्रय की उसके खसरा नंबर 782/780 है तथा प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह के वर्तमान खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 783/780 है जो तादादी 4.1486 हैक्टेयर भूमि है परन्तु राजस्व रेकॉर्ड के नक्शे में प्रतिवादी संख्या 9 की भूमि पूर्वी तरफ वादगत भूमि में गलत दर्शायी गयी है। वादीगण व

लगातार .....6 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

गौणप्रतिवादीगण की भूमि खेत खसरा नंबर 526/31 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की भूमि पूर्वी तरफ दर्शायी गयी है जो गलत रूप से तरमीम कर दर्शायी गयी है। जबकि प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह के पूर्वी तरफ व वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 9 मनोज की है। जिस पर चार दीवारी की हुयी है। प्रतिवादी संख्या 8 ने भी अपनी भूमि के चार दिवारी कर रखी है। वादगत खेतों में से स्व॰ लिछमणसिंह आदि द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने के पश्चात् वर्तमान खेत खसरा नंबर 338 तादादी 3.5536 हैक्टेयर, खसरा नंबर 339 तादादी 2.6052 हैक्टेयर, खसरा नंबर 410 तादादी 5.4886 हैक्टेयर, खसरा नंबर 525/183 तादादी 6.0070 हैक्टेयर, खसरा नंबर 526/31 तादादी 4.7424 हैक्टेयर कुल तादादी 22.3968 हैक्टेयर वाके रोही घंटियाल बड़ी की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह व स्व॰ पृथ्वीसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की 17 बीघा 07 बिश्वा भूमि रही है। वादगत खसरेजात की भूमि की गलत खातेदारी को दुरूस्त कराने, खसरा नंबर 527/31 (खसरा नंबर 781/527, 782/780, 783/780) के वर्तमान अशुद्ध नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करवाने व मुताबिक कब्जा, काश्त के अनुसार नक्शा में तरमीम करवाने व विभाजन करवाने के लिये वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 18.11.2022 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिस पर वादीगण ने यह वाद घोषणात्मक रेकॉर्ड दुरूस्ति, चिर निषेधाज्ञा व विभाजन का पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से रजत पाण्डे एडवोकेट व गौणप्रतिवादीगण की ओर से महावीरसिंह राठौड़ एडवोकेट ने वकालतनामे पेश किया। वादीगण, गौणप्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने न्यायालय में दिनांक 11.01.2023 को स्वयं मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

लगातार .....7 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी कुशलसिंह ने प्रमाणित वर्तमान जमाबंदी खेत खसरा नंबर 338, 339, 410, 525/183, 526/31 प्रदर्श–1, जमाबंदी खसरा नंबर 783/780 प्रदर्श–2, जमाबंदी खसरा नंबर 781/527 प्रदर्श–3, जमाबंदी खसरा नंबर 782/780 प्रदर्श–4, जमाबंदी खसरा नंबर 407, 443 प्रदर्श–5, जमाबंदी खसरा नंबर 524/183 प्रदर्श–6, मिलान क्षेत्रफल साबिका खसरा नंबर 25 प्रदर्श–7, मिलान क्षेत्रफल साबिका खसरा नंबर 148 प्रदर्श–8, मिलान क्षेत्रफल साबिका खसरा नंबर 211 व 212 प्रदर्श–9, मिलान क्षेत्रफल साबिका खसरा नंबर 285 प्रदर्श–10, नक्शा सम्वत् 2002 खसरा नंबर 148 प्रदर्श 11, नक्शा सम्वत् 2002 खसरा नंबर 211 व 212 प्रदर्श 12, नक्शा सम्वत् 2002 खसरा नंबर 25 प्रदर्श 13, नक्शा सम्वत् 2002 खसरा नंबर 285 प्रदर्श 14, जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2012 प्रदर्श–15, जमाबंदी सम्वत् 2013 से 2016 प्रदर्श–16, जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 प्रदर्श–17, जमाबंदी सम्वत् 2026 प्रदर्श–18, जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 प्रदर्श–19, नामान्तरण संख्या 209 प्रदर्श–20, जमाबंदी खातेदार विजयसिंह खसरा नंबर 527/31 प्रदर्श–21, जमाबंदी सम्वत् 2044 प्रदर्श–22, जमाबंदी खसरा नंबर 527/31 खातेदार किशनसिंह प्रदर्श–23, जमाबंदी सम्वत् 2053 से 2056 प्रदर्श–24, पर्चा सेटलमेंट प्रदर्श–25, नामान्तरण संख्या 63 प्रदर्श–26, विक्रय पत्र दिनांकित 26.04.1971 बहक विजयसिंह प्रदर्श–27, विक्रय पत्र दिनांकित 21.10.1989 बहक किशनसिंह प्रदर्श–28 की प्रमाणित नकले पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये तथा मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं पीडब्ल्यू–1 कुशलसिंह के बयान करवाये गये।

बहस अंतिम सुनी गयी पक्षकारान के अधिवक्तागण ने दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि पक्षकारान के आपस में राजीनाम हो चुका है तथा पक्षकारान मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री चाहते है पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया साबिका खसरा नंबर 25 तादादी 39 बीघा 18 बिश्वा की भूमि में से 1/2 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पूर्वज स्व॰ लिछमणसिंह दत्तक पुत्र रामसिंह व जड़ाव कंवर पुत्री रामसिंह ने

लगातार .....8 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

दिनांक 26.04.1971 को विजयसिंह पुत्र तिलोकचन्द ओसवाल को विक्रय करना विक्रय पत्र से साबित है। शेष भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण व गौणप्रतिवादीगण का रहा था। साबिका खसरा नंबर 25 के नया खसरा नंबर 31 थे तथा विजयसिंह पुत्र तिलोकचन्द ओसवाल के नाम अलग खातेदारी दर्ज हुयी तब खसरा नंबर 527/31 विजयसिंह की भूमि के व खसरा नंबर 526/31 वादीगण व गौणप्रतिवादीगण की भूमि के थे खेत साबिका खसरा नंबर 140 नया खसरा नंबर 183 की भूमि तादादी 47 बीघा 19 बिश्वा भूमि में से स्व॰ लिछमणसिंह आदि द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा विक्रय करने के पश्चात् स्व॰ गणपतसिंह व स्व॰ लादूसिंह के वारिसान की 1/2 हिस्सा भूमि रही तथा खसरा नंबर 525/183 तादादी 6.0070 हैक्टेयर वाके रोही घंटियाल बड़ी की भूमि में वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पति व पिता पृथ्वीसिंह का नाम गलत दर्ज कर दिया गया वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अशुद्ध है जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा खसरा नंबर 526/31 व खसरा नंबर 525/183 की खातेदारी भूमि में वादीगण व गौणप्रतिवादीगण अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। खसरा नंबर 526/31 व खसरा नंबर 525/183 की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का कोई सरोकार नहीं है। खेत खसरा नंबर 527/31 की खातेदारी भूमि का राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम किया गया है, जबकि पत्रावली पर प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांकित 26.04.1971 व 21.10.1989 में स्पष्ट रूप से आसापासा में अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 527/31 के उतरी तरफ की व पूर्वी तरफ की भूमि वादीगण व गौणप्रतिवादीगण की है। इससे यह साबित है कि नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 527/31 की एकल भूमि गलत रूप से दर्शायी है। वर्तमान में खसरा नंबर 527/31 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह ने प्रतिवादी संख्या 9 मनोज कुमार को दो बार भूमि विक्रय की जिसके खसरा नंबर 781/527 व 782/780 है तथा प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को भूमि विक्रय करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह की भूमि के खसरा

लगातार .....9 पर

उपखण्ड अधिकारी
वीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

नंबर 783/780 बने है। जो पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी से साबित है। प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को विक्रय की गयी भूमि वादीगण व गौणप्रतिवादीगण के पश्चिमी तरफ की भूमि विक्रय की गयी थी जबकि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में भूलवश राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की भूमि वादीगण व गौणप्रतिवादीगण की भूमि में दर्शायी गयी जबकि वर्तमान नक्शा में गलत तरमीम किया गया है, जिसे दुरूस्त व सहीं किया जाना कानूनन आवश्यक है। मौके पर खसरा नंबर 781/527 व 782/780 के पूर्वी तरफ की भूमि वादीगण व गौणप्रतिवादीगण की है तथा खसरा नंबर 781/527 व 782/780 व 783/780 की भूमि के उत्तरी तरफ की भूमि भी वादीगण व गौणप्रतिवादीगण की है। खसरा नंबर 526/31 के पश्चिमी तरफ की चिपती भूमि प्रतिवादी संख्या 9 की व प्रतिवादी संख्या 9 के चिपती पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह की है। मुताबिक कब्जा, काश्त व नजरी नक्शा के राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा राजीनामा पक्षकारान के हो चुका है तथा खसरा नंबर 526/31 व खसरा नंबर 525/183 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का नाम हटाया जाना आवश्यक है। गौणप्रतिवादीगण संख्या 13 ता 36 वादी संख्या 1 कुशलसिंह वादी संख्या 2 गिरधारीसिंह के निकटतम संबंधि है यानि बहने व बहनों के लड़के–लड़किया, भाणजे–भाणजी है तथा राजीनामा में गौणप्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि वादगत भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहते है और न ही उनका वादगत भूमि पर कब्जा, काश्त है। गौणप्रतिवादी संख्या 13 ता 36 का कानूनी दृष्टि से जो भी हिस्सा बनता है उस हिस्से की भूमि की खातेदारी वादी सख्या 1 कुशलसिंह व वादी संख्या 2 गिरधारीसिंह के नाम दर्ज कर दी जावे, जिसमें गौणप्रतिवादीगण संख्या 13 ता 36 को कोई आपत्ति नहीं है। वादगत खेत खसरेजात की भूमि में स्व. लादूसिंह के पुत्र स्व. जसुसिंह के वारिसान वादीगण संख्या 3 ता 6 व गौणप्रतिवादी संख्या 42 का नाम खातेदारी में दर्ज नही है। कानूनी दृष्टि से वादगत खसरेजात की भूमि में गौणप्रतिवादी संख्या 37 इमरती देवी के साथ संयुक्त रूप से स्व. जसुसिंह के वारिसान

लगातार .....10 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

वादीगण संख्या 3 ता 6 व गौणप्रतिवादी संख्या 42 के नाम खातेदारी दर्ज की जानी कानूनन आवश्यक है। वादीगण संख्या 3 ता 6 व गौणप्रतिवादी संख्या 37 श्रीमती इमरती देवी पत्नी स्व॰ लादूसिंह व गौणप्रतिवादी संख्या 42 बजरंगसिंह पुत्र स्व॰ जसुसिंह के गौणप्रतिवादीगण संख्या 38 ता 41 निकटतम संबंधी है जो वादगत भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहते है और न ही उनका वादगत भूमि पर कब्जा, काश्त है। गौणप्रतिवादीगण संख्या 38 ता 41 का कानूनी दृष्टि से जो भी हिस्सा बनता है उस हिस्से की भूमि की खातेदारी वादीगण संख्या 3 ता 6 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 37 व 42 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर दी जावे तो गौणप्रतिवादीगण संख्या 38 ता 41 को कोई आपत्ति नहीं है। दावे में प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है कि गौणप्रतिवादीगण का नाम वादगत खसरेजात की भूमि में दर्ज नहीं है उन्हे तो केवल कानूनी आपत्तियों को मद्दे नजर रखते हुये पक्षकार रखा गया है राजीनामा में गौणप्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि वादीगण संख्या 3 ता 6 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 37 व 42 के पक्ष में हक हिस्सा परित्याग कर दिया था यानि हक हिस्सा छोड़ दिया था। पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किया जाकर खाता विभाजन किये जाने का कथन पक्षकारान ने किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 ता 28 व मौखिक साक्ष्य पीडब्ल्यू–1 वादी कुशलसिंह के बयान से वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा के वादीगण का घोषणात्मक रेकॉर्ड दुरूस्ति, चिर निषेधाज्ञा व खाता विभाजन का दावा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का दावा मुताबिक राजीनामा के डिक्री किया जाता है।

अतः वादीगण का दावा मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नंबर 338 तादादी 3.5536 हैक्टेयर, खसरा नंबर 339 तादादी 2.6052 हैक्टेयर, खसरा नंबर 410 तादादी 5.4886 हैक्टेयर, खसरा नंबर 525/183 तादादी 6.0070 हैक्टेयर, खसरा नंबर 526/31 तादादी 4.7424

लगातार .....11 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर वाके रोही घंटियाल बड़ी तहसील बीदासर जिला–चूरू की भूमि का विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 कुशलसिंह के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 410 मिन तादादी 8 बीघा 9 बिश्वा उत्तरी–पूर्वी तरफ की व वादी संख्या 3 ता 6 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 37 व 42 के पूर्वी तरफ की, वादी संख्या 2 गिरधारीसिंह के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 339 मिन तादादी 5 बीघा 18 बिश्वा पश्चिमी ओर की व खेत खसरा नंबर 525/183 मिन तादादी 11 बीघा 18 बिश्वा अगुणी तरफ की कुल तादादी 17 बीघा 16 बिश्वा भूमि, वादीगण संख्या 3 ता 6 (उच्छबकंवर, भंवरसिंह, गजेन्द्रसिंह व पुजाकंवर) व गौणप्रतिवादी संख्या 37 व 42 (श्रीमती इमरतीकंवर व बजरंगसिंह) के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 410 मिन तादादी 8 बीघा 19 बिश्वा भूमि वादी संख्या 1 कुशलसिंह के पश्चिमी तरफ की व प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह के उत्तरी तरफ की व खसरा नंबर 338 मिन तादादी 5 बीघा 7 बिश्वा दक्षिणी तरफ की व खसरा नंबर 525/183 की मिन तादादी 11 बीघा 17 बिश्वा भूमि आथूणी तरफ की इस प्रकार कुल तादादी 26 बीघा 3 बिश्वा, प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 410 मिन तादादी 4 बीघा 6 बिश्वा वादीगण के दक्षिणी तरफ की व खसरा नंबर 339 मिन तादादी 4 बीघा 8 बिश्वा भूमि अगुणी तरफ की कुल तादादी 8 बीघा 14 बिश्वा, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 (ज्ञानकंवर, महावीरसिंह, केशरसिंह, तिलोकसिंह, भंवरीकंवर, रूखमाकंवर) के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 338 मिन तादादी 8 बीघा 14 बिश्वा भूमि उत्तरी तरफ की खातेदारी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा खेत खसरा नंबर 526/31 तादादी 4.7424 हैक्टेयर भूमि में मुताबिक नजरी नक्शा के **मार्क अ व मार्क ब** में वादी संख्या 1 कुशलसिंह का 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण संख्या 3 ता 6 व गौणप्रतिवादीगण संख्या 37 व 42 का **मार्क अ व मार्क ब** में 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, वादगत भूमि में से गौणप्रतिवादीगण संख्या 13 ता 36 व 38 ता 41 का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है वर्तमान खेत खसरा नंबर 527/31 की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 9

लगातार .....12 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

मनोज कुमार को भूमि विक्रय करने के पश्चात् नये खसरा नंबर 781/527, 782/780, 783/780 का वर्तमान नक्शा ट्रेस अशुद्ध होने के कारण उसे दुरूस्त व संशोधित किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 8 किशनसिंह व प्रतिवादी संख्या 9 मनोज कुमार के उतरी तरफ खसरा नंबर 526/31 की भूमि व खसरा नंबर 782/780 व खसरा नंबर 781/527 के पूर्वी तरफ खेत खसरा नंबर 526/31 की भूमि मुताबिक कब्जा, काश्त के संलग्न नजरी नक्शानुसार राजस्व रेकॉर्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा पक्षकारान को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि खेत खसरा नंबर 410 में आवागमन के लिये कटाणी मार्ग से फंटकर प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वी उतरी तरफ 18 फुट चौड़ा रास्ता वादीगण व गौणप्रतिवादीगण संख्या 37 व 42 के व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के लिये आवागमन का खुला रहेगा, कोई भी पक्ष उक्त रास्ते को बंद नहीं करेगा और न ही रास्ता में बाधा करित करेगा। प्रतिवादी संख्या 12 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16-01-2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

(श्योराम वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

Scanned with CamScanner